न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 129/2022
हकीमुदीन पुत्र हाजी सफी, जाति व्यापारी मुसलमान, निवासी सुलताना, तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं।
–– अपीलान्ट

बनाम

1. इब्राहीम पुत्र हाजी सफी, जाति व्यापारी मुसलमान, निवासी सुलताना, तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं।
2. तहसीलदार चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

–– रेस्पोडेन्ट

––

अपील बखिलाफ निर्णय तहसीलदार चिडावा मुकदमा उनवानी सरकार बनाम इब्राहीम वगैरह, मु0न0 29/2019 निर्णय दिनांक 07.09.2020 अ0धा0 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

––

उपस्थितः–

1. श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री जयप्रकाश पूनिया–रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर

आदेश

दिनांक 10.10.2022

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 07.09.2020 के विरूद्व मय प्रा0प0 स्थगन एवं प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी की ओर से अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व पत्रावली है। अदालत मातहत के समक्ष अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस गलत दिया गया था कि भूमि ख0न0 990 व 989 राजकीय भूमि नही है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट नं0 1 तथा गांव के 30–40 घर आबाद है। अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट नं0 1 उक्त भूमि के खातेदार द्वारा विक्रय करने के आधार पर काबिज है। अपीलार्थी अतिक्रमी की तारीफ मे नही आता है। धारा 91 का नोटिस किसी भी स्थिति मे नही दिया जा सकता है। उक्त भूमि बाबत पूर्व मे तहसीलदार ने जांच की थी। उक्त जांच दिनांक 30.12.2012 को हुई थी जिसमे तहसीलदार ने अपनी जांच मे माना कि उक्त भूमि संवत् 2029–30 की जमाबन्दी मे उक्त भूमि नारायणी देवी बेवा हरद्ववारी हिस्सा 1/2 कन्हैयालाल हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण, निवासी सुलताना के नाम दर्ज थी। वर्तमान मे उक्त भूमि मन्दिर श्री गोपीनाथजी के नाम दर्ज है। भूमि ख0न0 989 में विघुत संबंध है। भूमि ख0न0 990 रकबा 3.37 हैक्टर ग्राम सुलताना से किठाना जाने वाली पक्की सडक के दक्षिण मे स्थित है। [illegible] 351 रकबा 17 बीघा 11 बिश्वा दर्ज है। उक्त भूमि मे से खातेदारों ने 12 बीघा 7 बिश्वा [illegible]ल पुत्र सूरजमल, जाति महाजन, निवासी सुलताना को विक्रय कर दी जिसका [illegible] हुआ। [illegible]लाल के पश्चात् उसके पुत्र जवाहरमल ने भूमि ख0न0 990 का उत्तरी हिस्सा जो सुलताना [illegible] किठाना सडक पर स्थित है जिसको नोटेरी द्वारा प्लाटों मे विक्रय कर दी। उक्त [illegible] जाती है। [illegible] को दिनांक 20.01.2003 को इब्राहीम पुत्र हाजी सफी को विक्रय कर [illegible] उस भूमि का विक्रय इ[illegible]मा 18.02.2002 को इब्राहीम व हकीमुदीन के नाम तस्दीक हुआ। उक्त भूमि की विक्रय की लिखावट नोटेरी पब्लिक से तस्दीक हुई। उक्त भूमि पर गांव के काफी लोग आबाद है एवं भूमि को काश्त कर रहे है। केवल अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट नं0 1 को नोटिस दिया गया है। अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट नं0 1 भूमि गत

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.01 12:41:51 IST
Reason: SelfAttested

ख0न0 254 जिसके हाल ख0न0 990 व 989 है के खातेदारान् से जरिये इकरारनामा भूमि क्रय करके आबाद है। अपीलार्थी का प्रकरण अतिक्रमण की श्रेणी मे नही आता है। उक्त भूमि बाबत कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा द्वारा दिनांक 12.04.2013 को जांच की। उक्त जांच जिला कलक्टर महोदय को भिजवाई गई थी। उक्त भूमि के अतिक्रमण बाबत न्यायायल तहसीलदार चिडावा के प्रकरण संख्या 31/2012 दर्ज किया गया था। तहसीलदार चिडावा द्वारा अतिक्रमी को क्रमांक राज/12/840 दिनांक 12.10.2012 को नोटिस जारी किया गया तथा भू–अभिलेख निरीक्षक से मौके की जांच करवाई गई जिसमे अपीलार्थी द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भू– अभिलेख निरीक्षक सुलताना की रिपोर्ट तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब के पश्चात् न्यायालय तहसीलदार चिडावा द्वारा दिनांक 02.01.2013 को निर्णय पारित किया गया कि यह भूमि पूर्व मे खातेदारी मे रही है। भू–प्रबन्ध के दौरान भूमि मन्दिर के नाम दर्ज हुई है। रिकार्ड के मुताबिक कब्जा पुराना होना भी साबित होता है परन्तु वर्तमान मे भूमि मन्दिर के नाम दर्ज रिकार्ड है। मन्दिर भूमि से कब्जा हटाया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही है। शिकायतकर्ता सक्षम न्यायालय मे अवैध कब्जा हटाने हेतु वाद दायर रकने के लिए स्वतन्त्र है। उक्त निर्णय पारित करके कार्यवाही निरस्त की गई। पूर्व मे तहसीलदार ने पत्रावली मे निर्णय पारित कर दिया उसी भूमि बाबत उन्ही व्यक्तियों के विरूद्व 91 की कार्यवाही नही चल सकती है। धारा 183 राज0 टी0 एक्ट मे राजस्थान सरकार ने जरिये तहसीलदार चिडावा ने उक्त भूमि बाबत दावा प्रस्तुत किया वो दावा राजस्थान सरकार का दिनांक 11.05.2022 को खारिज हो गया। नियमित दावा के दौरान 91 का नोटिस नही दिया जा सकता है। अदालत मातहत की कार्यवाही प्रथम दृष्टया ही निरस्त है। धारा 183 मे 17.09.2013 को दावा प्रस्तुत किया जो खारिज हो गया उसके पश्चात् दिनांक 06.12.2019 को 91 का नोटिस तहसीलदार ने दिया है। इसलिए उक्त 91 की कार्यवाही अपीलार्थी के विरूद्व गलत रूप से दर्ज की गई है। तहसीलदार ने या तो भूलवश धारा 91 का नोटिस दिया है या धारा 91 क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। उक्त भूमि बाबत स्वयं तहसीलदार ने दावा धारा 183 के तहत प्रस्तुत किया जो खारिज हो गया। स्वयं तहसीलदार ने उक्त भूमि बाबत जांच की जिसमे भूमि को खातेदारी भूमि माना तथा खातेदारान् से जरिये इकरारनामा अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा खरीदना माना। अपनी जांच मे अतिक्रमण नही माना। इसलिए अपीलार्थी के विरूद्व 91 की कार्यवाही संस्थित नही की जा सकती। ना ही बेदखली का आदेश दिया जा सकता। उक्त भूमि के संबंध मे विक्रय पत्र दिनांक 03.06.1965 को तस्दीक हुआ जो खातेदारी की भूमि मानकर हुआ। अपीलार्थी के विरूद्व 91 का गलत आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 यहां हस्ताक्षर करने के लिए मौजूद नही है इसलिए पक्षकार बनाया गया है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत दिनांक 07.09.2020 को निरस्त किया जावे। कुर्की एवं निलामी की कार्यवाही निरस्त की जावे या पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जावे कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देकर मौका रिपोर्ट मंगवाकर पुनः गुणावगुण कपर निर्णय पारित करें।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत के समक्ष अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस गलत दिया गया था कि भूमि ख0न0 990 व 989 राजकीय भूमि नही है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट नं0 1 तथा गांव के 30–40 घर आबाद है। अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट नं0 1 उक्त भूमि के खातेदार द्वारा विक्रय करने के आधार पर काबिज है। अपीलार्थी अतिक्रमी की तारीफ मे नही आता है। धारा 91 का नोटिस किसी भी स्थिति मे नही दिया जा सकता है। उक्त भूमि बाबत पूर्व मे तहसीलदार ने जांच की थी। उक्त जांच दिनांक 30.12.20[illegible] तहसीलदार ने अपनी जांच मे माना कि उक्त भूमि संवत् 2029–30 की जमाबन्दी [illegible] उक्त भूमि [illegible] देवी बेवा हरद्ववारी हिस्सा 1/2 कन्हैयालाल हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण, निवासी [illegible] वर्तमान मे उक्त भूमि मन्दिर श्री गोपीनाथजी के नाम दर्ज है। भूमि ख0न0 989 मे विद्युत [illegible] है। भूमि ख0न0 990 रकबा 3.37 हैक्टर ग्राम सुलताना से किठाना जाने वाली पक्की सडक के दक्षिण मे स्थित है। उक्त भूमि के गत ख0न0 254 रकबा 17 बीघा 11 बिश्वा दर्ज है। उक्त भूमि मे से खातेदारों ने 12 बीघा 7 बिश्वा भूमि रतनलाल पुत्र सूरजमल, जाति महाजन, निवासी सुलताना को विक्रय कर दी जिसका नामान्तरकरण 312 तस्दीक हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.01 12:41:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

तनलाल के पश्चात् उसके पुत्र जवाहरमल ने भूमि ख0न0 990 का उत्तरी हिस्सा जो सुलताना किठाना सडक पर स्थित है जिसको नोटेरी द्वारा प्लाटों मे विक्रय कर दी। उक्त भूमि खाली है जो खेती के काम आती है। उक्त भूमि को दिनांक 20.01.2003 को इब्राहीम पुत्र हाजी सफी को विक्रय कर दी। उस भूमि का विक्रय इकरारनामा 18.02.2002 को इब्राहीम व हकीमुदीन के नाम तस्दीक हुआ। उक्त भूमि की विक्रय की लिखावट नोटेरी पब्लिक से तस्दीक हुई। उक्त भूमि पर गांव के काफी लोग आबाद है एवं भूमि को काश्त कर रहे है। केवल अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट नं0 1 को नोटिस दिया गया है। अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट नं0 1 भूमि गत ख0न0 254 जिसके हाल ख0न0 990 व 989 है के खातेदारान् से जरिये इकरारनामा भूमि क्रय करके आबाद है। अपीलार्थी का प्रकरण अतिक्रमण की श्रेणी मे नही आता है। उक्त भूमि बाबत कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा द्वारा दिनांक 12.04.2013 को जांच की। उक्त जांच जिला कलक्टर महोदय को भिजवाई गई थी। उक्त भूमि के अतिक्रमण बाबत न्यायायल तहसीलदार चिडावा के प्रकरण संख्या 31/2012 दर्ज किया गया था। तहसीलदार चिडावा द्वारा अतिक्रमी को क्रमांक राज/12/840 दिनांक 12.10.2012 को नोटिस जारी किया गया तथा भू–अभिलेख निरीक्षक से मौके की जांच करवाई गई जिसमे अपीलार्थी द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भू– अभिलेख निरीक्षक सुलताना की रिपोर्ट तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब के पश्चात् न्यायालय तहसीलदार चिडावा द्वारा दिनांक 02.01.2013 को निर्णय पारित किया गया कि यह भूमि पूर्व मे खातेदारी मे रही है। भू–प्रबन्ध के दौरान भूमि मन्दिर के नाम दर्ज हुई है। रिकार्ड के मुताबिक कब्जा पुराना होना भी साबित होता है परन्तु वर्तमान मे भूमि मन्दिर के नाम दर्ज रिकार्ड है। मन्दिर भूमि से कब्जा हटाया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही है। शिकायतकर्ता सक्षम न्यायालय मे अवैध कब्जा हटाने हेतु वाद दायर रकने के लिए स्वतन्त्र है। उक्त निर्णय पारित करके कार्यवाही निरस्त की गई। पूर्व मे तहसीलदार ने पत्रावली मे निर्णय पारित कर दिया उसी भूमि बाबत उन्ही व्यक्तियों के विरूद्व 91 की कार्यवाही नही चल सकती है। धारा 183 राज0 टी0 एक्ट मे राजस्थान सरकार ने जरिये तहसीलदार चिडावा ने उक्त भूमि बाबत दावा प्रस्तुत किया वो दावा राजस्थान सरकार का दिनांक 11.05.2022 को खारिज हो गया। नियमित दावा के दौरान 91 का नोटिस नही दिया जा सकता है। अदालत मातहत की कार्यवाही प्रथम दृष्टया ही निरस्त है। धारा 183 मे 17.09.2013 को दावा प्रस्तुत किया जो खारिज हो गया उसके पश्चात् दिनांक 06.12.2019 को 91 का नोटिस तहसीलदार ने दिया है। इसलिए उक्त 91 की कार्यवाही अपीलार्थी के विरूद्व गलत रूप से दर्ज की गई है। तहसीलदार ने या तो भूलवश धारा 91 का नोटिस दिया है या धारा 91 क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। उक्त भूमि बाबत स्वयं तहसीलदार ने दावा धारा 183 के तहत प्रस्तुत किया जो खारिज हो गया। स्वयं तहसीलदार ने उक्त भूमि बाबत जांच की जिसमे भूमि को खातेदारी भूमि माना तथा खातेदारान् से जरिये इकरारनामा अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा खरीदना माना। अपनी जांच मे अतिक्रमण नही माना। इसलिए अपीलार्थी के विरूद्व 91 की कार्यवाही संस्थित नही की जा सकती। ना ही बेदखली का आदेश दिया जा सकता। उक्त भूमि के संबंध मे विक्रय पत्र दिनांक 03.06.1965 को तस्दीक हुआ जो खातेदारी की भूमि मानकर हुआ। अपीलार्थी के विरूद्व 91 का गलत आदेश पारित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत दिनांक 07.09.2020 को निरस्त किया जावे। कुर्की एवं निलामी की कार्यवाही निरस्त की जावे या पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जावे कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देकर मौका रिपोर्ट मंगवाकर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

रेस्पोडेन्ट नं0 2 ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट [illegible] कोई विरोध नही किया और ना ही कोई साक्ष्य–सबूत पेश किये। .

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.01 12:41:51 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने ग्राम सुलताना स्थित भूमि ख0न0 [illegible] 990 कुल रकबा 3.37 हैक्टर किस्म चाही 1 जाव 1 व भूमि ख0न0 989 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म कुआ जो कि मंदिर श्री गोपीनाथजी की खातेदारी की भूमि है मे से 2.75 हैक्टर भूमि पर फसल काश्त कर अवैध अतिक्रमण किया है। विवादित भूमि

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

दिर खातेदारी की भूमि है जिस पर अपीलान्ट्स को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नही है। अदालत ातहत मे अपीलान्ट की जबाब देही हुई है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की ह अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अपीलान्ट ने ग्राम सुलताना स्थित भूमि ख0न0 ख0न0 990 कुल रकबा 3.37 हैक्टर किस्म चाही 1 जाव 1 व भूमि ख0न0 989 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म कुआ जिसकी संवत् 2012 से संवत् 2030 तक निजी खातेदारी की भूमि रही है जिसकी ताईद जमाबन्दियों एवं नामान्तरकरण से होती है। इस बात की पुष्टि तहसीलदार चिडावा के पत्रांक 652 दिनांक 12.04.2013 एवं पटवारी हल्का सुलताना की रिपोर्ट दिनांक 30.10.2012 से होती है। ऐसी स्थिति मे हम अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.09.2020 को उचित नही मानते है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण मे अपीलान्ट को पुनः सुना जाकर, समुचित साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर एवं रिकार्ड का अध्ययन कर 1 माह मे पुनः निर्णय पारित करे। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत को निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.01 12:41:51 IST
Reason: SelfAttested